LIC HFL HRIDAY PROJECT

विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण संदर्शिका सह-पठन सामग्री

Implementing Partner

Mount Valley Development Association

LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD

Corporate Social Responsibility

संस्था के बारे में : -

माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन (एमवीडीए) एक गैर-लाभकारी स्वेच्छिक संस्था है जो अपने स्थापना से ही ज़मीनी स्तर (जल जंगल, जमीन) पर, शिक्षा, सतत कृषि विकास एवं आजीविका संवर्द्न, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, महिला सशक्तिकरण, क्षमता विकास एवं जागरूकता जैसे क्षेत्रों में युवाओं,महिलाओं और बच्चों के साथ समुदाय के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु प्रयासरत है। संस्था अलग-अलग सहयोगी संस्थाओं और सरकार के साथ मिलकर पशुपालन, कृषि एवं गैर कृषि कार्य, स्थानीय उत्पादों का संग्रहण, प्रसंस्करण, सामुदायिक सुविधा एवं किसान सूचना केन्द्र के द्वारा बाजार ,उन्नत प्रजाति के बीज, खाद, कृषि यन्त्र एवं जानकारी उपलब्ध कराती है।

This module Content Developed & Written by: Mr. Sudhir Bhatt (Mountain Children's Foundation) ;
Designed by: Mr. Akash Kumar Sahu

अनुक्रमणिका

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान

सरकार, स्थानीय अधिकारी के दायित्व

अभिभावकों व संरक्षकों के दायित्व

विद्यालय प्रबन्धन समिति (परिचय)

विद्यालय प्रबन्धन समितियों की आवश्यकता

विद्यालय प्रबन्धन समितियों के मुख्य उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व

गतिविधियॉ

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य

सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान

विद्यालय प्रबंधन समिति : निर्वाचित प्रतिनिधियों, अभिभावक एवं शिक्षक की विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना जिसमें :

- 3/4 सदस्य अभिभावक, 50 प्रतिशत महिलायें
- कमजोर एवं वंचित वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व
- विद्यालय विकास योजना निर्माण, प्रबंधन, मॉनिटरिंग- स्थानीय निकाय के सहयोग से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा।

गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिये अपने पड़ोस के 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। इसमें राज्य द्वारा किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अथवा वास्तविक फीस, जो भी कम हो, के आधार पर फीस की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विद्यालय को की जायेगी।

मापदण्डः- प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात

- 60 बच्चों तक - 02 शिक्षक
- 61 से 90 बच्चों तक - 03 शिक्षक
- 91 से 120 बच्चों तक - 04 शिक्षक
- 121 से 200 बच्चों तक - 05 शिक्षक
- 150 से अधिक छात्र संख्या होने पर - 5 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक
- 200 से अधिक होने पर - 1रू40 का अनुपात (प्रधानाध्यापक को छोड़कर)

मापदण्डः- माध्यमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात

- कम से कम 01 शिक्षक प्रति कक्षा एवं 01 शिक्षक - विज्ञान एवं गणित, 01 शिक्षक - सामाजिक विज्ञान, 01 शिक्षक - भाषा
- 35 बच्चों पर - कम से कम 01 शिक्षक
- 100 बच्चों से अधिक होने पर - पूर्ण कालिक प्रधानाध्यापक
- अंशकालिक शिक्षक - कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा

सरकार, स्थानीय अधिकारी के दायित्व :

- 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का शुल्क या प्रभार अदा करने के लिए बाध्य नहीं जायेगा। उसकी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्ति में किसी प्रकार की फीस बाधक नहीं होगी।
- यदि किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण पाने का अधिकार प्रत्येक बच्चे को होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रविष्ट किए गए किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात भी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।

- 6 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चे जिनका किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पाया है, या किसी कारण वे प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें अपनी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को उनकी आयु के अनुसार दूसरे बच्चों के बराबर आने के लिए अलग से कक्षाओं का संचालन किया जायेगा ।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक बच्चों को निष्कासित भी नही किया जाएगा।

- बच्चे को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से मुक्त, भयमुक्त वातावरण में शिक्षा पाने का अधिकार होगा।
- निजी व विशेष श्रेणी (वर्ग) वाले विद्यालयों को भी अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पहली कक्षा की कुल सीटों का 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखनी होंगी।
- विद्यालय के पूर्ण शैक्षिक सत्र तक बच्चे को प्रवेश लेने का अधिकार होगा। बच्चों के हित में सामाजिक व सांस्कृतिक अवरोधों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।
- बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकेगा।
- विद्यालयों द्वारा कैपिटेशन फीस लिए जाने तथा स्क्रीनिंग प्रणाली अपनाने पर प्रतिबन्ध है। कैपिटेशन फीस लिए जाने पर ली गई फीस का 10 गुना तक अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है। तथा स्क्रीनिंग प्रणाली अपनाने पर पहली बार 25 हजार रूपए एवं इसके उपरान्त प्रत्येक बार उल्लंघन पर 50 हजार रूपए दण्ड देना होगा।

- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक बच्चों की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी।
- प्रत्येक अभिभावक एवं संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे अपने आस पास के विद्यालय में अपने बच्चे का अनिवार्य रूप से प्रवेश कराएं।
- बच्चा अपने राज्य में या राज्य से बाहर जहाँ भी स्कूल बदलना चाहता है, उसे ऐसा करने का अधिकार है, जिससे वह अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर सके।
- स्कूल प्रबन्धन का कर्त्तव्य है, कि वह दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चे को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र यथा शीघ्र उपलब्ध कराये । किसी भी कारण से देरी होने पर दूसरा स्कूल बच्चे को प्रवेश से मना नहीं करेगा।
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र देरी से जारी करने वाले स्कूल प्रमुख के विरूद्ध उसके सेवा नियमों के अनुसार प्रशासनिक, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य मापदण्ड- न्यूनतम कार्य दिवस/शिक्षण के घंटे : -

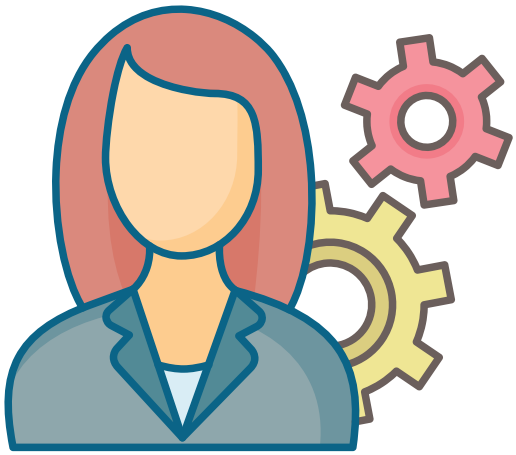

- 200 दिवस - प्राथमिक स्तर
- 220 दिवस - माध्यमिक स्तर
- 800 शैक्षणिक घंटे - प्राथमिक स्तर
- 1000 शैक्षणिक घंटे - माध्यमिक स्तर
- शिक्षक के लिये सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे - 45 घंट (पठन पाठन + तैयारी के घंटे)

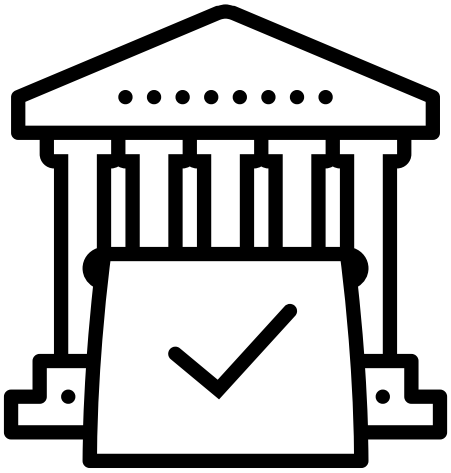

प्रवेश हेतु निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र : -

- जन्म प्रमाण पत्र
- अस्पताल/ए0एन0एम0 केन्द्र से प्राप्त जन्म सम्बन्धी अभिलेख
- आंगनवाड़ी केन्द्र से प्राप्त जन्म सम्बन्धी अभिलेख
- परिवार रजिस्टर की नकल
- परिवार द्वारा स्वप्रमाणन प्रमाण पत्र

अभिभावकों व संरक्षकों के दायित्व : -

- बच्चों को नियमित स्कूल भेजना।
- बच्चों को दिये जाने वाले गृह कार्य में बच्चों की यथा सम्भव मदद करना ।
- बच्चों को साफ सफाई के साथ स्कूल भेजना ।
- स्कूल में होने वाली बैठको में नियमित रुप से प्रतिभाग करना ।
- बच्चों को पढ़ने में होने वाली समस्याओं का समाधान करना ।

विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन (आरoटीoईo 2009 के प्ररिप्रेक्ष्य में) : -

विद्यालय में अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व केवल एक व्यक्ति का न होकर, यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-21 के अन्तर्गत सभी बच्चों समान स्तर की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सके, इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसoएमoसीo) का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) संख्या 469/XXIV(1)/2013-45/2008 दिनांक 02 जुलाई, 2013 को संशोधित अधिसूचना के क्रम में **विद्यालय प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा,** बशर्ते उनके बच्चे उस विद्यालय में उस अवधि के अन्तर्गत अध्ययनरत हों।

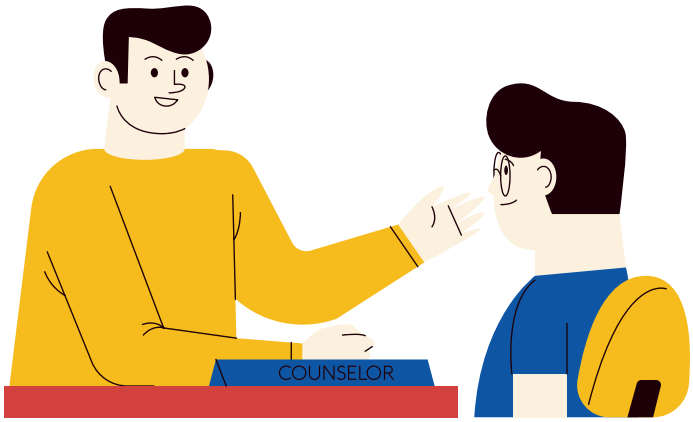

विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसoएमoसीo) की बैठकें:-

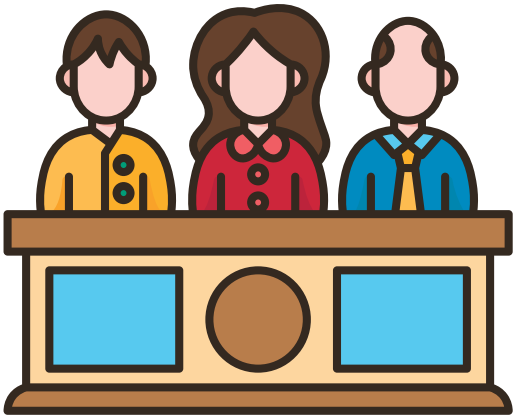

एसoएमoसीo की आम सभा की वर्ष में तीन बैठकें आवश्यक हैं:

1. प्रथम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के 03 सप्ताह के भीतर
2. द्वितीय 5 सितम्बर तथा तृतीय शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर।
3. विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को आयोजित की जायेगी। प्रथम शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में यह बैठक माह के प्रथम शुक्रवार को आयोजित की जायेगी।

समाज तथा शिक्षा का आपस में गहरा सबंध है। सामाजिक विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शौक्षणिक परिदृश्य को सुधारने हेतु समुदाय की भागीदारी की अनिवार्यता को समझते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों व अभिभावकों की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों की मूल भावना यह थी, कि समाज में सभी व्यक्ति बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में आगे आएं। माता पिता व अभिभावक अपने बच्चों को समुचित सुविधा एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें, इसके लिए आवश्यक है, कि मातापिता/अभिभावक विद्यालय प्रबन्धन समिति के विषय में कुछ समझें, कुछ जानें। उत्तराखण्ड़ के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)एवं माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) विद्यालय में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार अब उत्तराखण्ड़ में विद्यालय विकास एवं संचालन हेतु विद्यालय के विकास से सम्बन्धित सभी निर्णय गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा लिए जा सकेंगे।

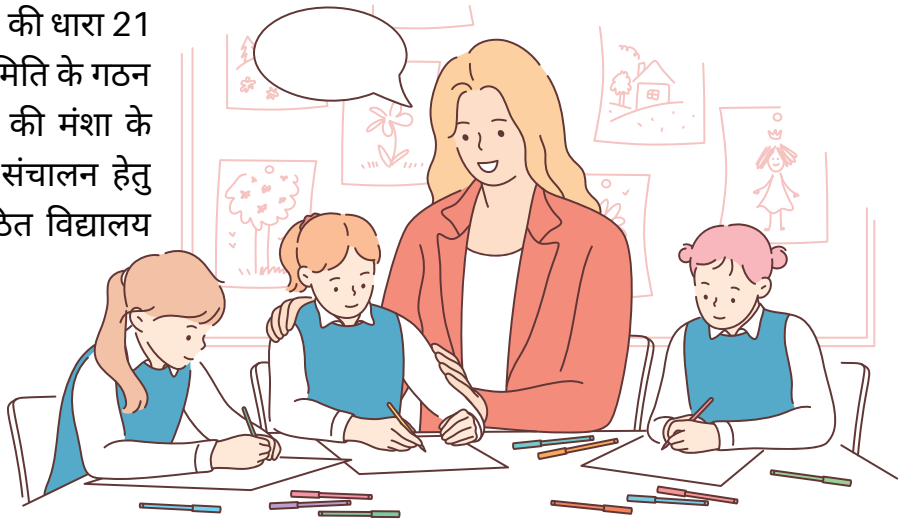

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अतः नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल-शिक्षा अधिकार अधिनियम में कक्षा एक से कक्षा आठ तक की शिक्षा के विकास के लिए सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपी गई है । ताकि प्रत्येक विद्यालय स्तर पर वहॉ के अभिभावक विद्यालय के लिए योजना स्वयं बना सकें व शिक्षा के महत्त्व को समझें।

इस अधिनियम की अवधारणा का मूल है, कि समुदाय के जागरूक रहने पर ही कोई पद्धति ठीक ढंग से लागू की जा सकती है। अतः विद्यालय प्रबध्ांन समिति विद्यालय स्तर पर **शिक्षा का अधिकार** (RTE) को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

विद्यालय प्रबन्धन समितियों की आवश्यकता : -

कोई भी लोक कल्याण कार्यक्रम जन साधारण की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। अतः शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत क्षेत्र के प्रत्येक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कोने-कोने तक सब पढ़ें, सब बढ़ें - आन्दोलन को घर-घर पहुँचाने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। जिसके माध्यम से प्रत्येक भावी नागरिक की शिक्षा में भागीदारी व शिक्षकों के कार्य निष्पादन में सहयोग, व्यवस्था पर नजर रखने तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा योजना तैयार करने में (इन समितियों की) अहम् भूमिका होती है। इन समितियों का गठन इसलिए भी आवश्यक हो गया है ताकि शिक्षा से वंचित वर्गों में शिक्षा के प्रति ललक व सकारात्मक सोच पैदा की जा सके।

विद्यालय प्रबन्धन समितियों के मुख्य उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व : -

इन समितियों के द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21 के अनुसार निम्नलिखित कार्यों में सहयोग देना होता है। विद्यालय विकास योजना तैयार करना तथा इसको पूर्णतया लागू करने में सहयोग देना -

- विद्यालय विकास योजना बनाते समय स्कूल की स्वच्छता का भी ध्यान रखना आवश्यक है । जिसके लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानो जैसे - प्रत्येक स्कूल में बालिका व बालकों के लिए अलग - अलग दो शौचालय का होना आवश्यक है । यदि किसी स्कूल में दो शौचालय नही है । तो यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है ।
- स्कूल में शौचालय की व्यवस्था न होने से भी बच्चों की शिक्षा पर इसका खराब असर होता है । इस पर भी समझ बनाने की आवश्यक्ता है ।
- स्कूल में दोहर के खाने से पहले बच्चों को हाथ धोने के लिए साफ पानी व साबून की व्यवस्था होना ।
- स्कूल में कूड़े के उचित निस्तारण के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति के सहयोग से उचित निस्तारण की व्यवस्था करना ।
- खाना बनाने के स्थान पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना ।
- स्कूल में खाना खाने का स्थान साफ होना ।

गतिविधियाँ : -

स्वच्छ स्कूल सर्वेक्षण का आयोजन करना । जिसमें कि दो तरह से स्वच्छता को देख सकते है :-

क. व्यक्तिगत स्वच्छता (बच्चों के शरीर से सम्बन्धित स्वच्छता को देखा जा सकता है)
ख. आसपास की स्वच्छता (कक्षा कक्ष की स्वच्छता को देखा जा सकता है , व उस जगह जहॉ पर बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनता है)

स्वच्छ कक्षा प्रतियोगिता का आयोजन करना व स्थान पाने वाली कक्षा के बच्चां का सम्मानित करना । कक्षाओं में बाल संहभागिता से कूड़े के उचित निस्तारण की व्यवस्था बनाना (उपरोक्त गतिविधियों को तीन माह में एक बार किया जा सकता है, जिससे अन्तर भी पता चल सके) । (उपरोक्त व्यस्थाओं में यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो ग्राम सभा की बैठक या स्थानीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा सकता है)

- शिक्षा के अधिकार के प्रति समुदाय व माता - पिता को जागरूक करना।
- विद्यालय, शिक्षा विभाग एवं समुदाय के बीच सेतु का कार्य करना।
- सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान एवं अन्य सुविधाओं के समुचित उपयोग हेतु निगरानी में सहयोग देना।
- शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- किन्हीं भी कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकने हेतु अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कदम उठाना।
- विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक तथा अभिभावकों को सहयोग प्रदान करना।
- प्रतिमाह होने वाली बैठको में (अवश्य) भाग लेकर समस्याओं पर चिंतन कर निराकरण करना ,एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना।

- अध्यापकों को अध्यापन सामग्री के निर्माण एवं छात्रों में कौशल विकास हेतु स्वैच्छिक रूप से सहयोग प्रदान करना।
- मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) योजना के अंतर्गत प्राप्त भोजन की गुणवत्ता को बच्चों से बातचीत के माध्यम से जाँचना।
- बाल.मजदूरी में लिप्त बच्चों का मार्ग दर्शन कर निकटतम विद्यालयों में नामकंन करवाना तथा निरंतर शिक्षा जारी रखने में सहयोग करना।
- भीख माँगने वाले बच्चों का मार्गदर्शन करके विद्यालयों में नामांकन कराना तथा ठहराव में सहयोग देना।
- विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्त) बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग करना।
- विद्यालय में भवन निर्माण, मरम्मत कार्य व अन्य निर्माण कार्यों की देख रेख में भागीदारी निभाना।

- विद्यालयों में सही समय पर वर्दियों तथा पुस्तकां को उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों को सहयोग प्रदान करना।
- विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की उपस्थिति जाँचना।
- किसी भी स्थिति में शिक्षा के अधिकार की अनुपालन नहीं होने पर विद्यालय प्रशासन के माध्यम से शिक्षा विभाग को अवगत कराना।
- नि:शक्त बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की जाँच करना।
- विद्यालयों में शिक्षा सुधार हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों (NGO) तथा शिक्षक अभिभावक संघों (PTA) के सदस्यों का सहयोग लेना।
- विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (Special Training Centre) में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास का निरीक्षण करना।
- सभी शिक्षक सही समय पर विद्यालय में पहुँचे पूर्ण समय विद्यालय में रहें तथा विद्यालय की समय सारणी के अनुसार अपनी-अपनी कक्षाओं को पढ़ाएं इसको भी मानीटर करना है।

- विद्यालय के आस-पास रहने वाले लोगों को बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय, माता पिता व संरक्षकों को उनके कर्तव्योंकी जानकारी देना।
- विद्यालय में खेल का मैदान, की व्यवस्था करने में सहयोग देना।
- चारदीवारी, की व्यवस्था करने में सहयोग देना।
- साफ सफाई, की व्यवस्था करने में सहयोग देना।
- कक्षा कक्ष, की व्यवस्था करने में सहयोग देना।
- फर्नीचर, की व्यवस्था करने में सहयोग देना।
- पीने के पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था करने में सहयोग देना।

- समय समय पर विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करवाना।
- अगर विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पद हैं तो अध्यापकों की नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग से पत्राचार करना।
- विद्यालय के अनुशासन से सबंधित मामले (SMC) द्वारा ही विद्यालय स्तर पर निपटाना। निपटारा न होने पर शिक्षा विभाग को सिफारिश करना।
- विद्यालय विकास हेतु योजना तैयार करना।
- शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर अन्य प्रदत्त कार्यों के निश्पादन में सहयोग देना।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य : -

निःशुल्क (मुफ़्त) शिक्षा : -

कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों से पढ़ाई के बदले कोई फीस नहीं ली जायेगी निःशुल्क शिक्षा का अर्थ यह भी है, कि बच्चों के अभिभावकों पर उन खर्चों का भी बोझ नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जैसे - बच्चों की वर्दी, किताबें, कॉपी, पेन्सिल व दोपहर का भोजन जैसे सब खर्चे सरकार वहन करेगी जिनके अभाव में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे ।

अनिवार्य शिक्षा का मतलब : -

बच्चों को 8वीं कक्षा तक स्कूल जाने व पढ़ने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे का स्कूल नहीं जाना कानून का उल्लंघन है तथा अब हर माँ-बाप को अपने बच्चों को चाहे वह लड़का हो या लड़की स्कूल भेजना ही होगा ,स्कूल को इन बच्चों को पढ़ाना ही होगा, हर एक बच्चे को 8वीं क्लास पास करनी या करवानी ही होगी, अब कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा माता-पिता का यह कर्तव्य है कि इस उम्र के बच्चे को ज़रूर-ज़रूर स्कूल भेजें एक बच्चे को आठवीं क्लास तक पढ़ाई पूरी करवाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है ।

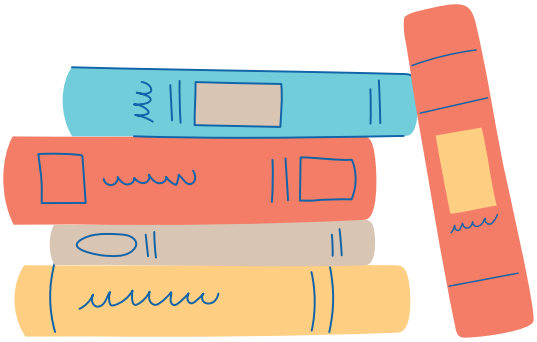

सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका : -

अधिकांश यह देखने में आया है कि, कोई भी कमेठी बन तो जाती है । पर उसको आगे कैसे बढ़ना है । उसकी क्या जिम्मेदारियॉ होगी , कैसे मिलकर अपने स्कूल को ठीक किया जा सकता है, बच्चों के लिए जरुरी संसाधनों तक पहुच कैसे हो सकती है । पर ज्यादा ध्यान नही दिया जाता, जिससे कि अधिकांश कमेठी कागजां तक ही सीमित रह जाती है। यहॉ पर एक सामाजिक संस्था के लोगों की जिम्मेदारी यह हो सकती है । कि वह शिक्षा के अधिकार में किये गये प्रावधानां से विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों / समुदाय के लोगों को समय - समय पर अवगत करवायें व समिति की नियमित बैठके कराने में एक सम्बन्ध निर्माण कार्यकर्ता की भूमिका में रहे । माता - पिता या अभिभावको को जागरुक करने का प्रयास करें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई व स्कूल में शिक्षा के अधिकार के तहत कियें गये प्रावधानों के तहत समुदाय जागरुक हो सके व शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किये गये प्रावधानों तक लोगों की पहुच बनने में सहायक हो सकते। बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार हो ।

‘स्कूल प्रबंधन समिति’ का प्रावधान

- स्कूल में अभिभावकों की अगुआई में स्कूल प्रबंधन समिति होगी जोकि स्कूलों की निगरानी करेगी ।
- स्कूल प्रबंधन समिति में कम से कम तीन चौथाई सदस्य अभिभावक वर्ग से होंगे। आधी सदस्य महिलाएं होंगी । वंचित व कमजोर वर्ग के माता पिता के जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा।
- स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल के संचालन की देख रेख करेगी। स्कूल के विकास की योजना तैयार करेगी तथा उसके लागू हो पाने को बढ़ावा देगी
- उपयुक्त सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या फिर किसी अन्य श्रोत से प्राप्त अनुदान के इस्तेमाल होने की देख रेख करेगी।
- हर अभिभावक का यह क्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या आश्रित का दाखिला पड़ोस के स्कूल में करायें या कराने के लिए तैयार रहें ।

बाल अधिकार का संरक्षण

- राज्य बाल संरक्षण आयोग /प्राधिकरण गठित होगी। यह शिक्षा अधिकार हनन के शिकायतों की जांच करने का काम करेगी ।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों के मिलने की व्यवस्था की जांच और समीक्षा करेगा। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करेंगा।
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के मुताबिक बच्चों के नामांकन में एवं शिक्षकों के दायित्वों में चूक होने पर आवश्यक कार्यवाही करेगी।
- कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत बच्चे के अधिकार से सम्बन्धित तकलीफ को स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत कर प्रस्तुत कर सकता है।
- शिकायत प्राप्त करने के उपरान्त स्थानीय प्राधिकारी सम्बद्ध पक्षकारों को न्यायसंगत अवसर प्रदान करने के बाद तीन महीने की अवधि में मामलें में निर्णय लेगा।

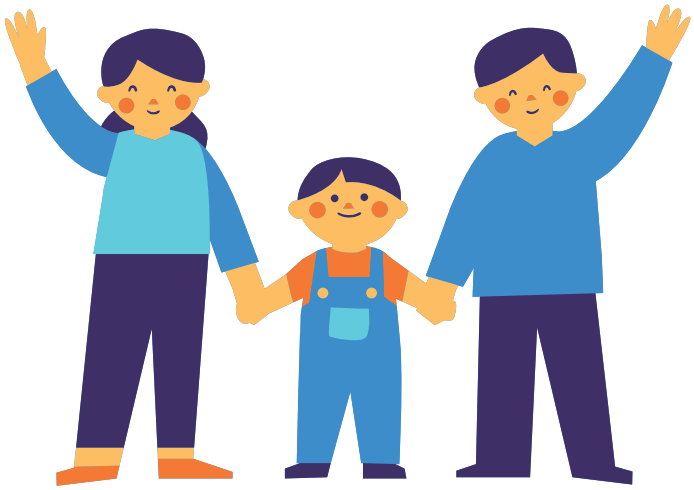

- स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट व्यक्ति राज्य बाल अधिकारसंरक्षण आयोग या प्राधिकारी के पास अपील दाखिल कर सकता है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को संबंधित मार्गदर्शन जारी कर सकती है। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी कोया स्कूल प्रबन्धकारिणी समिति को संबंधित मार्गदर्शन या जैसा उपयुक्त समझे वैसा दिशा निर्देश जारी कर सकती है।
- स्थानीय प्राधिकारी स्कूल प्रबन्धकारिणी समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित मार्गदर्शन या जैसा उपयुक्त समझे वैसा दिशा-निर्देश जारी करसकती है।
- राज्य सरकार राज्य सलाहकार परिषद् गठित करेगी जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के विशेषज्ञ और व्यवहारिक ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति होंगे। राज्य सलाहकार परिषद् राज्य सरकार को इस अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से करने के लिये परामर्श देने का कार्य भी करेगी।

विद्यालय प्रबन्धन समित्ति के वित्तीय संसाधन :

1) विद्यालय विकास हेतु वित्तीय संसाधन निम्न स्रोतों से प्रॉप्त किए जा सकेंगे:--

- सरकार से प्राप्त अनुदान, विद्यालय अनुदान, रखरखाव अनुदान, भवन निर्माण, मरम्मत अनुदान अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य अनुदान;
- गैर सरकारी संगठन अथवा स्थानीय निकायों से प्राप्त सहायता राशि;
- अभिभावकों / समुदाय द्वारा विद्यालय विकास हेतु प्रदान किया जाने वाला स्वैच्छिक चंदा; और
- मेले अथवा अन्य सामुदायिक प्रयोजनों से प्राप्त शुल्क |

2) विद्यालय विकास हेतुक्रय की जाने वाली सामग्रीराज्य सरकार द्वाराप्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों केअन्तर्गत क्रय की जायेगी।

3) सदस्य सचिव द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति के वार्षिक लेखा-जोखा को आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा सोशल ऑडिट एवं सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था को सामान्य / विशेष ऑडिट हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

4) विद्यालय प्रबंधन समिति की निधि का एक बैंक खाता खोला जाएगा, जिसे कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जाएगा। अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव के बदले जाने की स्थिति में नये अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर बैंक को सूचित किए जायेंगे।

विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्य एवं दायित्व:

1) विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाएगा:

- विद्यालय के क्रियाकलापों का अनुश्रवण;
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना एवं संस्तुति देना;
- सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में अनुश्रवण करना;
- राज्य सरकार / विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति एवं निर्देशों का सम्पादन करना।

2) उक्त के क्रम में कार्यकारी परिषद् विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा की ओर से निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करने के लिए अधिकृत होगी :-

- शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप आउट रोकने हेतु अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कदम उठाना;
- छात्र-छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन एवं प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा करना तथा निदानात्मक शिक्षा/ विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु रणनीति तैयार करना;
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना/लागू करना तथा उसका अनुश्रवण करना;
- सरकार एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदाव का नियमानुसार उपभोग सुनिश्चित करना;

- सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नि शुल्क सुविधाएं पात्र छात्र/छात्राओं का उपलब्ध कराना,
- मध्याहन् भोजन योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना व भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुश्रवण करना,
- विद्यालय में अध्ययनरत छात्र /छात्राओं के लिए स्वच्छ पेयजल, समुचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा स्कूल परिक्षेत्र में पानी की उपलब्धता एवं शौचालयों की नियमित सफाई व रख-रखाव के लिए आवश्यक कदम उठाना,
- विद्यालय में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं की नियमित स्वास्थ्य जाँच कराना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड तैयार करवाना;

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन कर उनके लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था करना;
- विद्यालय में आयोजित होने वाले पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप यथा बाल मेला, विज्ञान प्रदर्शनी तथा खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहभागी बनकर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना,
- निर्माण कार्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के अध्याय-1 के प्रस्तर 198 तथा अध्याय VII के प्रस्तर 7.15 तथा 2.17 में उल्लिखित प्रणाली के अनुसार प्रस्ताव पारित कर बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जायेगा,
- विद्यालय भवन निर्माण, मरम्मत कार्य एवं अन्य निर्माण कार्यों का अनुभवण करना
- विद्यालय के लिए साज-सज्जा, फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था करना:

- विद्यालय के लिए साज-सज्जा, फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था करना:
- विद्यालय अनुदान तथा रख-रखाव अनुदान के उपभोग का अनुभवण करना,
- छात्र/छात्राओं में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विद्यालय में पुस्तकालय का विकास एवं समुचित उपयोग करवाना,
- विद्यालय प्रबन्धन समिति की वार्षिक रिपोर्ट को आम सभा में प्रस्तुत करना तथा उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति तथा विद्यालय को उपलब्ध करवाना,
- राज्य सरकार / शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट कार्यो को सम्पादित करना,

- विद्यालय में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों के अनुपस्थित एवं समयबद्ध न होने की स्थिति में ऐसे दृष्टान्तों को उपखण्ड शिक्षाधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी को कार्यकारी परिषद की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 30 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित उप-खण्ड शिक्षा अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह के अन्तर्गत जाँच कर आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी तथा एक प्रति सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति को भी प्रेषित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच आख्या के आधार पर दो माह के अन्तर्गत शिकायती प्रकरण का निस्तारण करते हुए सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति को भी सूचित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच आख्या के आधार पर शिक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक के विरूद्ध सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपखण्ड शिक्षा अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जाँच से सन्तुष्ट न होने की दशा में विद्यालय प्रबन्धन समिति, कार्यकारी परिषद की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 30 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात अध्यक्ष के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी अथवा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी कियान्वयन हेतु गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस०सी०पी०सी०आर०) के समक्ष अपील / प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगी:

- अति दुर्गम / दुर्गम क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा उस विद्यालय में कार्यरत किसी शिक्षक द्वारा विद्यालय विकास एवं छात्रों के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को उन्नत करने हेतु किए गये विशेष प्रयासों के फलस्वरूप उस अध्यापक की लिखित सहमति पर उरंत विद्यालय से स्थानान्तरण न किये जाने हेतु अपनी अनुशंसा / संस्तुति सम्बन्धी प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर सकती है. जिस पर विभाग द्वारा सम्बन्धित शिक्षक का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों से इतर अगले एक सत्र तक के लिए स्थगित किए जान हेतु विचार किया जा सकता है, और
- सुगम क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय के शिक्षक के कार्य से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने की दशा में उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाएगा. किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे मामलों को शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर छात्र मूल्याकन परिणाम प्राप्त होने पर आयोजित होने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति की आमसभा की बैठक में ही लिया जा सकेगा।

Implementing Partner

Mount Valley Development Association

LIC HOUSING FINANCE LTD

Corporate Social Responsibility